रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, नवम्बर 18—नवम्बर 24, 2012, शनिवार/कार्तिक 27—अग्रहायण 3, 1934
No. 24] NEW DELHI, NOVEMBER 18—NOVEMBER 24, 2012, SATURDAY/KARTIKA 27—AGRAHAYANA 3, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2012

का.नि.आ. 98.—नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नौसेना छुट्टी विनियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. (1) इन विनियमों को नौसेना छुट्टी (संशोधन) विनियम, 2012 कहा जाए ।

(2) वे शासकीय राजपत्र में उनको प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नौसेना छुट्टी विनियम, 1970 में :–

(i) विनियम 13 के अंतर्गत मौजूदा सभी उप-विनियमों को हटाया जाए और विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नए विनियम को लगाया जाए :–

"13. वार्षिक छुट्टी

(1) वर्ष के लिए वार्षिक छुट्टी, छुट्टी स्वीकृति प्राधिकारी के विवेक पर बिना पूर्वाग्रह के, जिस वर्ष में विस्तारित छुट्टी समाप्त होती है, अगले कैलेंडर वर्ष में जोड़ी जा सकती है;

(2) वार्षिक छुट्टी उसी वर्ष में अलग-अलग समय में ली जा सकती है;

(3) वार्षिक छुट्टी वर्ष कैलेंडर वर्ष होगा, अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर; और

(7)
Desirable : Diploma in Computer Application from a recognised Institute.

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for confirmation : 1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment & Stores) —Chairman 2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services —Member 3. Director/Deputy Secretary (Civilian Personnel) —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 3014/RR/Lib. Staff/DGAFMS/DG-2B/692/RR/12/D (Apptts.)]

K. K. DAIMARY, Under Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2012

का.नि.आ. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 1987 और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, औद्योगिक (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग (क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय) में औद्योगिक (समूह 'ग') पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय) समूह 'ग' औद्योगिक पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**--ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विर्निदिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मास्टर क्राफ्ट्समैन (संलग्नक 'क' पर संलग्न व्यवसायों की सूची)	*386 (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. +ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-I) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-I) जिन्होंने तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-I) और तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) में कुल मिलाकर छ: वर्ष नियमित सम्मिलित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** सभी पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय व्यवसायिक कौशल परीक्षण में उसी व्यवसाय में अर्हता प्राप्त करनी होगी जिसमें वे तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-I) की श्रेणी में पद धारण किए हुए हों । **टिप्पण 2.**-जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे

	(11)
	ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. केन्द्र या क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के निकटतम केन्द्र पर अवस्थित अन्य स्थापन से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. तकनीशियन अति-कुशल श्रेणी-I) [संलग्नक 'क' में संलग्न व्यवसायों में तत्कालीन अति कुशल श्रेणी-I पद]	*579 (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसे तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) जिन्होंने तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) और तकनीशियन (कुशल) में कुल पांच वर्ष की सम्मिलित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** सभी पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय व्यवसाय कौशल परीक्षण में उसी व्यवसाय में अर्हता प्राप्त करनी होगी जिसमें वे तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) का पद धारण किए हुए हों । **टिप्पण 2 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सभी व्यवसायों में तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) पोषक प्रवर्ग का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-I) (सभी व्यवसायों में अति कुशल श्रेणी-I के तत्कालीन पद) में प्रोन्नति के लिए अर्हक या पात्रता सेवा तीन वर्ष बनी रहेगी । **टिप्पण 3.**-जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 4 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **आमेलन :** ऐसे व्यक्ति जो क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय की स्थापनाओं या रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समतुल्य और समरूप स्तर के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य भार वाले पदों पर कार्य कर रहें हैं और नीचे दी हुई अर्हताएं रखते हैं :– (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा उत्तीर्ण); और (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से विनिर्दिष्ट व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र । **टिप्पण 1 :** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र का सही व्यवसाय आमेलन के लिए पदों का विज्ञापन करते समय सूचित किया जायेगा । **टिप्पण 2 :** सभी पात्र अभ्यर्थियों को तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-I) श्रेणी में पद धारण की अभ्यर्थियों की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित व्यवसाय कौशल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. केन्द्र या क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के निकटतम केन्द्र पर अवस्थित अन्य स्थापन से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. तकनीशियन (अति-कुशल श्रेणी-II) [संलग्नक 'क' में संलग्न व्यवसायों में तत्कालीन अति कुशल श्रेणी-II के पद]	*580 (2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर आमेलन द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे तकनीशियन (कुशल) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है । **टिप्पण 1 :** सभी पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित व्यवसायिक कौशल परीक्षण में उसी व्यवसाय में अर्हता प्राप्त करनी होगी जिसमें वे तकनीशियन (कुशल) श्रेणी में पद धारण किए हुए हैं । **टिप्पण 2 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर तकनीशियन (कुशल) [सभी व्यवसायों में कुशल श्रेणी में तत्कालीन पद] का पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) [सभी व्यवसायों में अति कुशल श्रेणी-II के तत्कालीन पद] में प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा या पात्रता तीन वर्ष बनी रहेगी । **टिप्पण 3.**-जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

	(11)
	टिप्पण 4 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **आमेलन :** ऐसे व्यक्ति जो क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय की स्थापनाओं या रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में समतुल्य और समरूप स्तर के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य भार वाले पदों पर कार्य कर रहे हैं और नीचे दी हुई अर्हताएं रखते हैं :– (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा उत्तीर्ण); और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विनिर्दिष्ट व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र । **टिप्पण 1 :** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र का सही व्यवसाय, आमेलन के लिए पदों का विज्ञापन करते समय सूचित किया जायेगा । **टिप्पण 2 :** सभी पात्र अभ्यर्थियों को तकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) श्रेणी में पद धारण की अभ्यर्थियों की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय व्यवसायिक कौशल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. केन्द्र या क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के निकटतम केन्द्र पर अवस्थित अन्य स्थापन से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. तकनीशियन (कुशल) [संलग्नक 'क' में संलग्न व्यवसायों में तत्कालीन कुशल श्रेणी के पद]	1265*(2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) ।

(6)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा उत्तीर्ण) । (ii) विनिर्दिष्ट व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र या केन्द्रीय सरकारों द्वारा उस रूप में अनुमोदित उसके समतुल्य रक्षा सेवा शिल्पी पाठ्यक्रम । (iii) विनिर्दिष्ट व्यवसाय में किसी मान्यताप्राप्त संगठन या उपक्रम से विशेष व्यवसाय में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय व्यवसायिक कौशल परीक्षण में उसी पद के व्यवसाय में व्यवसाय अर्हता प्राप्त करनी होगी जिसके लिए अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे हैं । **टिप्पण 2 :** संलग्नक 'ग' पर संलग्न व्यवसायों में से सही व्यवसाय और अनुभव का क्षेत्र, प्रत्येक भर्ती के लिए विज्ञापन करते समय सूचित किया जाएगा । **टिप्पण 3 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 4 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसे तकनीशियन (अर्ध कुशल) से जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है । **टिप्पण 1 :** सभी पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय व्यवसायिक कौशल परीक्षण में उसी पद के व्यवसाय में अर्हता प्राप्त करनी होगी जिसमें वे प्रोन्नति के लिए विचार किए जा रहे हैं । **टिप्पण 2.**-जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा । परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और सीधी भर्ती में पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. केन्द्र या क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के निकटतम केन्द्र पर अवस्थित अन्य स्थापन से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. तकनीशियन (अर्ध-कुशल) [संलग्नक 'ख' में संलग्न व्यवसायों में अर्ध-कुशल एवं अकुशल की तत्कालीन श्रेणी]	1241*(2012) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) ।

(6)
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(7)	(8)	(9)
विनिर्दिष्ट व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र या केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा उस रूप में अनुमोदित उसके समतुल्य रक्षा सेवा शिल्पी पाठ्यक्रम । **टिप्पण 1 :** पदों के लिए सही व्यवसाय, अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न व्यवसायों में से, प्रत्येक भर्ती के लिए विज्ञापन के समय सूचित किया जाएगा । **टिप्पण 2 :** तकनीशियन (अर्ध-कुशल) श्रेणी में ऐसे पद (पदों) जहां उस पद के लिए विनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र या उसके समतुल्य रक्षा सेवा शिल्पी पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है, वहां अनुलग्नक 'ग' पर संलग्न व्यवसायों में से किसी एक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र या उसके समतुल्य रक्षा सेवा शिल्पी पाठ्यक्रम धारण करने वाले अभ्यर्थी, नियुक्ति के पात्र होंगे । **टिप्पण 3 :** सभी पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय व्यवसायिक कौशल परीक्षण में उसी पद के कार्य के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी जिसके लिए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है ।	लागू नहीं होता	केवल सीधी भर्ती लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

(10)	(11)
(i) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 20 प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**आमेलन :** क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय संगठन के ऐसे श्रेणी 'ग' (भूतपूर्व श्रेणी 'घ') अनौद्योगिक कर्मचारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष की सेवा की है तथा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा उत्तीर्ण) की शैक्षिक अर्हता रखते हैं ।

(11)
टिप्पण 1 : सभी पात्र अभ्यर्थियों को तिकनीशियन (अर्ध-कुशल) श्रेणी में पदों को धारण की अभ्यर्थियों की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए, विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित विभागीय व्यवसायिक कौशल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधी भर्ती की पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. स्थापन का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापन का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य 3. केन्द्र या क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय के निकटतम केन्द्र पर अवस्थित अन्य स्थापन से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

संलग्नक 'क'

मास्टरक्राफ्ट्स मैन, टैकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-I), टैकनीशियन (अति कुशल श्रेणी-II) और टैकनीशियन (कुशल) की श्रेणी में व्यवसाय

क्र. सं.	व्यवसायों के नाम	क्र. सं.	व्यवसायों के नाम
1.	फिटर (टूल्स और गेज)	16.	संचाकर
2.	यान मैकेनिक (आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकिल्स)	17.	नमूनाकार
3.	फिटर उपकरण (साधारण)	18.	वैल्डर
4.	फिटर उपकरण (इलैक्ट्रिकल)	19.	बढ़ई
5.	टूल मेकर	20.	इलैक्ट्रिशियन
6.	दूरसंचार मैकेनिक	21.	नक्काश/नक्काश (कास्ठ)
7.	इलैक्ट्रिकल (आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकिल्स)	22.	फिटर ऑटो
8.	आर्मर वैल्डर	23.	फिटर रैफरीजरेटर/रैफरीजरेटर मैकेनिक
9.	परीक्षक	24.	मशीन मिस्त्री
10.	लोहार	25.	मिलर
11.	फिटर साधारण मैकेनिक	26.	पेन्टर
12.	कॉपर स्मिथ/टिन स्मिथ	27.	टर्नर
13.	इलैक्ट्रोप्लेटर	28.	बॉयलर सहायक
14.	ग्राइंडर	29.	बूट मेकर
15.	राजगीर	30.	टैक्टर चालक

संलग्नक 'ख'

टैकनीशियन (अर्ध-कुशल) की श्रेणी में व्यवसाय

क्र. सं.	व्यवसायों के नाम	क्र. सं.	व्यवसायों के नाम
1.	दूरसंचार मैकेनिक	13.	इंकमैन
2.	बढ़ई	14.	क्लीनर
3.	नक्काश/नक्काश (कास्ठ)	15.	लेप्पर
4.	इलैक्ट्रिशियन मेट	16.	मुद्रण मशीन प्रचालक
5.	फिटर ऑटो	17.	दर्जी
6.	मशीन मिस्त्री	18.	ट्रेड्समैन मेट
7.	टर्नर	19.	साईकिल फिटर
8.	फिटर साधारण मैकेनिक	20.	धोबी/वाशरमैन/लांड्री प्रचालक
9.	श्रमिक	21.	ड्राईवर ट्रक (बैटरी और पेट्रोल)
10.	मिलर मेट	22.	पॉलिश करने वाला
11.	पेन्टर	23.	पैकर
12.	हैमर मैन	24.	रज्जु कर्मकार

संलग्नक 'ग'

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र

क्र. सं.	व्यवसाय के नाम	क्र. सं.	व्यवसाय के नाम
1.	टूल्स एवं डाई मैकर या टूल्स एवं डाई (जिंक्स और फिक्सर)	16.	वायरमैन
		17.	टर्नर
2.	ऑटोमाबाईल	18.	मोटर यान मैकेनिक
3.	उपकरण मैकेनिक	19.	ट्रैक्टर मैकेनिक
4.	फिटर	20.	डीजल मैकेनिक
5.	इलैक्ट्रिशियन	21.	वैल्डर
6.	इलैक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	22.	बढ़ई
7.	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	23.	कंप्यूटर प्रचालक और प्रोग्रामिंग सहायक
8.	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	24.	मशीन मिस्त्री
9.	सर्वेक्षक	25.	ग्रांडर मशीन मिस्त्री
10.	कटाई और सिलाई	26.	इन्फोरमैशन टैकनोलॉजी और इलैक्ट्रोनिक सिस्टम मेन्टेनेन्स
11.	कढ़ाई और सुई कार्य	27.	स्कूटर और ऑटो साईकिल मैकेनिक
12.	टैक्सटाईल डिजायनिंग	28.	साधारण मैकेनिक-सह-मशीन प्रचालक
13.	ड्रैस डिजायनिंग	29.	वैल्डिंग (गैस और इलैक्ट्रिक)
14.	रैफरीजरेटर और एयरकंडीशनर मैकेनिक	30.	पेन्टर
15.	रेडियों व टैलीविजन मैकेनिक		

क्र. सं.	व्यवसाय के नाम	क्र. सं.	व्यवसाय के नाम
31.	ऑटो इलैक्ट्रिशियन	39.	बुक बाइंडर
32.	डेन्ट बीटिंग और स्प्रे पेन्टिंग	40.	लिथो ऑफसेट मशीन माइडर
33.	डेक्सटॉप पब्लिसिंग	41.	प्लेट मेकर-कम-कम्पोजिटर
34.	फॉउंड्री मैन (मोल्डर)	42.	कम्प्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग
35.	प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्रचालक	43.	इलैक्ट्रोप्लेटर
36.	प्लम्बर	44.	नमूनाकार
37.	शीट मैटल कार्य	45.	बॉयलर
38.	स्टील फैबरीकैटर	46.	बेट मैकर
		47.	मिलर

[फा. सं. ए/86320/आरआर/इंडस्ट्रियल/डीजीक्यूए/प्रशा-10/2330/डी(क्यू.ए.)/2012]

सुभाष चंद, अवर सचिव

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 19th November, 2012

S.R.O. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Raksha Utpadan Vibhag, Directorate General Quality Assurance (Group 'C' and Group 'D') Recruitment Rules, 1987 and the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance, Industrial (Group 'C' and 'D') Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Industrial (Group 'C') posts in the Department of Defence Production (Directorate General of Quality Assurance), namely:—

1. Short Title and Commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Industrial Posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade payor pay scale.—The number of the posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Master Craftsman (list of trades attached at Annexure 'A').	386* (2012) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2; Rs.9300— 34800 plus Grade Pay of Rs. 4200	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By Promotion	**Promotion :** Technician (Highly Skilled Grade-I) in the pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2800 with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis failing which by Technical Highly Skilled Grade-1 with combined six year's regular service as Technician (Highly Skilled Grade-I) and Technician (Highly Skilled Grade-II) put together. **Note 1:** All eligible candidates are to qualify in a departmental Trade Skill Test conducted by the Departmental Promotion Committee, in the trade in which they are holding the post in the Technician (Highly Skilled Grade-I) grade. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be

	(11)
	deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Head of the establishment —Chairman 2. Group 'A' officer of the concerned establishment —Member 3. Group 'A' officer from another establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Technician (Highly Skilled Grade-I) [Erstwhile posts of Highly Skilled Grade-I in the trades attached at Annexure 'A']	579* (2012) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1; Rs.5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2800	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Promotion failing which by absorption	**Promotion :** Technician (Highly Skilled Grade-II) in the pay band-I, Rs.5200—20200 plus grade pay of Rs. 2400 with five year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis failing which by Technical Highly Skilled Grade–II with combined five year's regular service as Technician (Highly Skilled Grade-II) and Technician (Skilled) put together. **Note 1:** All eligible candidates are to qualify in a departmental Trade Skill Test conducted by the Departmental Promotion Committee, in the trade in which they are holding the post in the Technician (Highly Skilled Grade-II) grade. **Note 2 :** The qualifying or eligibility service for promotion to Technician (Highly Skilled Grade-I) [erstwhile posts of Highly Skilled Grade -I in all trades] shall continue to be three years

	(11)
	for persons holding the feeder posts of Technician (Highly Skilled Grade-II) in all trades on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 3 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 4 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Absorption :** Persons working in analogous posts with comparable and similar levels of responsibility and the duties in Directorate General of Quality Assurance establishments or lower formations of Defence Services, possessing the qualifications as below :- (i) Matriculation (10th class pass) from a recognised Board or equivalent; and (ii) Industrial Training Institute Pass Certificate in the specified trade from a recognised Institute. **Note1:** Exact trade of Industrial Training Institute Pass Certificate will be intimated at the time of advertisement of posts for absorption. **Note 2 :** All eligible candidates are to qualify in a departmental Trade Skill Test conducted by the Departmental Promotion Committee, to assess the suitability of the candidates to hold the posts in Technician (Highly Skilled Grade-l) grade.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Head of the establishment —Chairman 2. Group 'A' officer of the concerned establishment —Member 3. Group 'A' officer from another establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station or nearby station —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Technician (Highly Skilled Grade-II) [Erstwhile posts of Highly Skilled Grade-II in the trades attached at Annexure 'A']	580* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1; Rs.5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By Promotion failing which by absorption	**Promotion :** Technician(Skilled) in the pay band-I, Rs.5200–20200 plus grade pay of Rs.1900 with eight year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note 1:** All eligible candidates are to qualify in a departmental Trade Skill Test conducted by the Departmental Promotion Committee, in the trade in which they are holding the post in the Technician (Skilled) grade. **Note 2:** The qualifying or eligibility service for promotion to Technician (Highly Skilled Grade-II) [erstwhile posts of Highly Skilled Grade-II in all trades] shall continue to be three years for persons holding the feeder posts of Technician (Skilled) [erstwhile posts of Skilled Grades in all trades] on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 4:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Absorption :** Persons working in analogous posts with comparable and similar levels of responsibility and the duties in Directorate General of Quality Assurance establishments or lower

	(11)
	formations of Defence Services, possessing the qualifications as below :- (i) Matriculation (10th class pass) from a recognised Board or equivalent; and (ii) Industrial Training Institute Pass Certificate in the specified trade from a recognised Institute. **Note1:** Exact trade of Industrial Training Institute Pass Certificate will be intimated at the time of advertisement of posts for absorption. **Note 2 :** All eligible candidates are to qualify in a departmental Trade Skill Test conducted by Departmental Promotion Committee, to assess the suitability of the candidates to hold the posts in Technician(Highly Skilled Grade-II) grade.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Head of the establishment —Chairman 2. Group 'A' officer of the concerned establishment —Member 3. Group 'A' officer from another establishment of Directorate General of Quality Assurance located in the station/nearby station —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Technician (Skilled) [Erstwhile posts of Skilled grades in trades attached at Annexure 'A']	1265* (2012) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1; Rs.5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Non-selection	Not exceeding twenty seven years (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal

(6)
Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2: I**n case of the recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Essential : (i) Matriculation (10th class pass) from a recognized Board or equivalent; (ii) Industrial Training Institute Pass Certificate in the specified trade or its equivalent Defence Services Tradesman Course approved as such by the Central Government or State Governments; and (iii) One year experience in the specified trade from a recognised Organisation or Undertaking. **Note 1:** Eligible candidates are to qualify if a departmental Trade Skill Test conducted by the Departmental Promotion Committee, in the trade of the post for which the candidates are being considered for appointment. **Note 2 :** Exact trade and area of experience for the post will be intimated out of the trades attached at Annexure 'C' at the time of advertisement for each recruitment. **Note 3 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 4 :** Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits only.

(10)	(11)
By Promotion failing which by direct recruitment.	**Promotion :** From any Technician (Semi-Skilled) in the pay band-1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.1800 with three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note 1:** All eligible candidates are to qualify in a departmental Trade Skill Test conducted by the Departmental Promotion Committee, in the trade of the post for which they are being considered for promotion. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the commission.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation of direct recruits) consisting of : 1. Head of the establishment —Chairman 2. Group 'A' officer of the concerned establishment —Member 3. Group 'A' officer from another establishment of Directorate General of Quality Assurance establishment located in the station or nearby station —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Technician (Semi Skilled) [Erstwhile Grades of Semi-Skilled and Unskilled in the trades attached at Annexure 'B']	1241* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Not exceeding twenty seven years (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued

(6)
by the Central Government from time to time in this regard). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of the recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Industrial Training Institute Pass Certificate in the specified trade or its equivalent Defence Services Tradesman Course approved as such by the Central Government or State Governments. **Note1:** Exact trade for the post will be intimated, out of the trades attached at Annexure 'C' at the time of advertisement for each recruitment. **Note 2 :** The post(s) in the Technician (Semi-Skilled) grade where recognised Industrial Training Institute Pass Certificate or its equivalent Defence Services Tradesman Course specific to the post is not available, the candidates possessing Industrial Training Institute Pass Certificate or its equivalent Defence Services Tradesman Course in one of the trades attached at Annexure 'C' shall be eligible for appointment. **Note 3 :** All eligible candidates are to qualify in a departmental Trade Skill Test conducted by the Departmental Promotion Committee, for the job of the post for which the candidates are being considered for appointment.	Not applicable	Two years for direct recruits only.

(10)	(11)
(i) 80% by direct recruitment; and (ii) 20% by absorption failing which by direct recruitment.	**Absorption :** From Group 'C' (erstwhile Group ('D') Non-Industrial employees of Directorate General of Quality Assurance Organisation holding post in the pay band-I, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs,1800 with three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the educational qualification of Matriculation (10th class pass) from a recognized Board. **Note 1:** All eligible candidates are to qualify in a departmental Trade Skill Test conducted by the Departmental Promotion Committee, to assess the suitability of the candidates to hold the posts in Technician (Semi-Skilled) grade.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of : 1. Head of the establishment —Chairman 2. Group 'A' officer of the concerned establishment —Member 3. Group 'A' officer from another establishment of Directorate General of Quality Assurance establishment located in the station/nearby station —Member	Not applicable.

Annexure 'A'

TRADES IN THE GRADES OF MASTER CRAFTSMAN, TECHNICIAN (HIGHLY SKILLED GRADE-I), TECHNICIAN (HIGHLY SKILLED GRADE-II) AND TECHNICIAN (SKILLED)

Sl. No.	Name of the trades
1.	Fitter (Tools and Gauges)
2.	Vehicle Mechanic (Armoured Fighting Vehicles)
3.	Fitter Instruments (General)
4.	Fitter Instruments (Electrical)
5.	Tool Maker
6.	Telecom Mechanic
7.	Electrician (Armoured Fighting Vehicles)
8.	Armour Welder
9.	Examiner
10.	Blacksmith
11.	Fitter General Mechanic
12.	Coppersmith/Tinsmith
13.	Electroplater
14.	Grinder
15.	Mason

Sl. No.	Name of the trades
16.	Moulder
17.	Pattern Maker
18.	Welder
19.	Carpenter
20.	Electrician
21.	Engraver/Engraver (Wood)
22.	Fitter Auto
23.	Fitter Refrigeration/Refrigeration Mechanic
24.	Machinist
25.	Miller
26.	Painter
27.	Turner
28.	Boiler Attendant
29.	Boot Maker
30.	Driver Tractor

Annexure 'B'

TRADES IN THE GRADES OF TECHNICIAN (SEMI-SKILLED)

Sl. No.	Name of the trades	Sl. No.	Name of the trades
1.	Telecom Mechanic	13.	Inkman
2.	Carpenter	14.	Cleaner
3.	Engraver/Engraver (Wood)	15.	Lapper
4.	Electrician Mate	16.	Printing Machine Operator
5.	Fitter Auto	17.	Tailor
6.	Machinist	18.	Tradesman Mate
7.	Turner	19.	Cycle Fitter
8.	Fitter General Mechanic	20.	Dhobi/Washerman/Laundry Operator
9.	Labourer	21.	Driver Truck (Battery and Petrol)
10.	Miller Mate	22.	Polisher
11.	Painter	23.	Packer
12.	Hammers man	24.	Rope Worker

Annexure 'C'

INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE PASS CERTIFICATE COURSES

Sl. No.	Name of the trades	Sl. No.	Name of the trades
1.	Tools and Die Maker or Tools and Die (Jigs and Fixure)	26.	Information Technology and Electronic System Maintenance
2.	Automobile	27.	Scooter and Auto Cycle Mechanic
3.	Instrument Mechanic	28.	General Mechanic-cum-Machine Operator
4.	Fitter	29.	Welding (Gas and Electric)
5.	Electrician	30.	Painter
6.	Electronics Mechanic	31.	Auto Electrician
7.	Draughtsman (Civil)	32.	Dent Beating and Spray Painting
8.	Draughtsman (Mechanical)	33.	Desktop Publishing
9.	Surveyor	34.	Foundry Man (Moulder)
10.	Cutting and Sewing	35.	Plastic Processing Operator
11.	Embroidery and Needle Work	36.	Plumber
12.	Textile Designing	37.	Sheet Metal Worker
13.	Dress Designing	38.	Steel Fabricator
14.	Refrigeration and Air-conditioner Mechanic	39.	Book Binder
15.	Radio and Television Mechanic	40.	Litho Offset Machine Minder
16.	Wireman	41.	Plate Maker-cum-Compositor
17.	Turner	42.	Computer Hardware and Networking
18.	Motor Vehicle Mechanic	43.	Electroplater
19.	Tractor Mechanic	44.	Pattern Maker
20.	Diesel Mechanic	45.	Boiler
21.	Welder	46.	Boot Maker
22.	Carpenter	47.	Miller
23.	Computer Operator and Programming Assistant		
24.	Machinist		
25.	Machinist Grinder		

[F. No. A/86320/RR/lndustriaI/DGQA/Adm-10/2330/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.